(५)

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0 105 / 2020 — तारीख दायरा 3.09.2020 — तारीख फैसला 13.06.2023

पीठासीन अधिकारी- हरविन्दर डॉ0 सिंह (आर.ए.एस.)

प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोटडादीपसिंह

उनवान

1- घनश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2- राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1- रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2- रूकमणी बाई पुत्री श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

3- विमला बाई पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नि रामेश्वर जाति धाकड निवासी खजूरना तहसील अन्ता जिला बारां राज0

4- सीमाबाई पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नि रामभरोस जाति धाकड निवासी पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

5- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88, 188, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सख्या 482 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.31 हे0, ख0नं0 160 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 733 रकबा 1.08 हे0, ख0नं0 734 रकबा 2.91 हे0, ख0नं0 1074 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 6 रकबा 7.42 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी है उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के तन्हा खातेदारी में दर्ज है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार काश्तकार है, उक्त विवादित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्मतः हक अधिकार नियत है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि पक्षकारान का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज0)

रामचन्द

घनश्याम पुत्र	राजेन्द्र पुत्र	रुकमणी बाई पुत्री	विमलाबाई पुत्री	सीमाबाई पुत्री

यह कि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के सगे पुत्र है। वादीगण उक्त विवादित भूमि मे से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की भूमि मे से अपना हिस्सा 1/6 –1/6 भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 3 ता 4 की शादी हो चुकी है। वादीगण को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहे है इसलिए वादीगण सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 बराबर बराबर खातेदारी दर्ज करवाकर अपना हिस्सा 1/6 – 1/6 भूमि खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि 1/6 –1/6 भूमि पर विकास कार्य करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए काफी परेशान हो रहे है। इसलिये वादीगण उक्त विवादित आराजी मे हिस्से 1/6–1/6 भूमि के बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

यह कि वाद कारण दिनांक 04.08.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त आराजियात मे अपना हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने साफ इन्कार कर दिया जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 482 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.31 हे0, ख0नं0 160 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 733 रकबा 1.08 हे0, ख0नं0 734 रकबा 2.91 हे0, ख0नं0 1074 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 6 रकबा 7.42 हे0 भूमि पुश्तैनी होने से तथा वादीगण का जन्मतः हक अधिकार नियत होने से तथा वादीगण का 1/6–1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने से वादीगण को अपने हिस्से 1/6–1/6 भूमि के बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी खाता सं0 482 ग्राम कोटडा दीपसिंह की सम्वत 2071–2074

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। पत्रावली आज दिनांक 13.06.2023 को ग्राम कोटडा दीपसिंह में प्रशासन गांवो के संग अभियान में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित है।

(6)

प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर उभय पक्ष के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका में सहमति से अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:—

प्रस्तुत राजीनामा

1— यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में प्रशासन गांव के संग अभियान में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनाम कर लिया है जो निम्न प्रकार से पेश है। जिसमें सभी पक्षकारान सहमत है।

1— यह कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 482 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.31 हे0, ख0नं0 160 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 733 रकबा 1.08 हे0, ख0नं0 734 रकबा 2.91 हे0, ख0नं0 1074 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 6 रकबा 7.42 हे0 भूमि

2— यह कि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

3— यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के पांच संताने है, जिसमें वादीगण पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 पुत्रियां है जो अपने अपेन ससुराल में राजीखुशी से निवास कर रही है। उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें सभी पक्षकारों का प्रत्येक का हिस्सा बराबर— बराबर निहित है।

4— यह कि उक्त विवादित आराजी के प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगणें ने आपसी सहमति से राजीनामा कर राजस्व रिकार्ड में खाते 1/6 —1/6 भूमि वादगण के नाम एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/6—1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपने हिस्से 1/6—1/6 हिस्से की भूमि वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर कर रही है जिसमें वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 5/12 — 5/12 भूमि दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 सहमत है। उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के 1/6 हिस्सा रहेगा तथा वादीगण के 5/12—5/12 हिस्सा खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादिया क्र 2 ता 4 उक्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। इसमे दोनों पक्षों को कोई ऐतराज नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वांदीगण का वाद पत्र निर्णय व डिक्री पारित फरमाये जाये।

प्रस्तुत राजीनामा शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादी अधिवक्ता की प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोटडा दीपसिंह में सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड , का गहन अवलोकन करने पर विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 4 द्वारा अपना हिस्सा का हकत्याग किये जाने से प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में कोटडा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

[illegible] तहसील दीगोद जिला कोटा मे खाता संख्या 482 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.82 [illegible] रकबा 1.31 हैo खoनo 160 रकबा 0.65 हैo खoनo 733 रकबा 1.08 हैo [illegible] रकबा 2.91 हैo खoनo 1074 रकबा 0.65 हैo कुल किता 6 रकबा 7.42 हैo [illegible] आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादिया क्रम 2 ता [illegible] हिस्सा का परित्याग वादीगणगण के पक्ष मे मौखिक रूप से कर दिया है। उक्त [illegible] मे अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। उक्त आराजी मे राजीनामा अनुसार [illegible] वादी क्रम [illegible] हिस्सा रहेगा तथा वादीगण के 5/12 [illegible] 5/12 हिस्सा खाते [illegible] तहसीलदार [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हकत्याग का शुल्क वसूल किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे [illegible] अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible].06.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर कोटडा दिपसिंह मे मजमे आम मे सुनाया गया।

Sd/-
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोटडादीपसिंह

उनवान

1– धनश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2– राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2– रूकमणी बाई पुत्री श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

3– विमला बाई पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नि रामेश्वर जाति धाकड निवासी खजूरना तहसील अन्ता जिला बारां राज0

4– सीमाबाई पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नि रामभरोस जाति धाकड निवासी पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

5– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88, 188, आर.टी.एक्ट

मिसल नं0 105 /2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 482 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.31 हे0, ख0नं0 160 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 733 रकबा 1.08 हे0, ख0नं0 734 रकबा 2.91 हे0, ख0नं0 1074 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 6 रकबा 7.42 हे0 भूमि में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादिया क्रम 2 ता 4 अपने हिस्से का परित्याग वादीगणगण के पक्ष में मौखिक रूप से कर दिया है। उक्त भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। उक्त आराजी में राजीनामा अनुसार

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादी कम 1 का 1/6 हिस्सा रहेगा तथा वादीगण के 5/12 – 5/12 हिस्सा खाते दर्ज की जावे तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हकत्याग का शुल्क वसूल किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.06.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोटडा दीपसिंह मे डिक्री जारी की गयी।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)